District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 211 of 2021

Jamui Sc.St. P.S. Case No.-03 /2020)

Date of Judgement : 06-06-2026

State of Bihar through informant Anil Rajak Vs. Basudev Yadav & others

बिहार राज्य द्वारा सूचक झगरू मांझी

बनाम

1. **बासुदेव यादव,** उम्र 71 वर्ष, पिता–स्व0 किशुन यादव,
2. **गिरधारी यादव,** उम्र 52 वर्ष, पिता–वासुदेव यादव,
3. **मीना देवी,** उम्र 39 वर्ष, पिता–गिरधारी यादव,
4. **संजय यादव** उम्र 24 वर्ष, पिता–गिरधारी यादव,
5. **अजय यादव** उम्र 22 वर्ष, पिता–गिरधारी यादव,

सभी निवासी ग्राम–चांय, थाना–झाझा, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 325/149, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–06.06.2026

निर्णय

1. परिवादी अनिल रजक, पिता प्रयाग रजक के परिवाद पत्र 59सी/2020, जो संबंधित थाने में द0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अंतर्गत कांड अंकित करने एवं अनुसंधान हेतु भेजा गया, के आधार पर जमुई एस0सी0/एस0टी0 थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–03/2020 के रूप में भा0द0वि0 147, 148, 323, 307, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 44/2020, भा0द0वि 147, 148, 323, 307, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. परिवादी अनिल रजक पिता प्रयाग रजक के परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन

State of Bihar through informant Anil Rajak Vs. Basudev Yadav & others

कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2020 को परिवादी अनिल रजक मजदूरी करके खाना खाने के लिए अपने घर वापस आ रहा था। जब वह अपने ग्रामीण चौक स्थित मोहन यादव के दुकान के पास पहुंचा तो अभियुक्तगण लाठी, भाला, ईटा, पत्थर व रड से लैश होकर घेर लिया तथा अभियुक्त सं0–1 बासुदेव यादव ने परिवादी से बोला कि ''साला धोबी मादरचोद तुम्हें कहा था कि तुम मेरा काम करोगे लेकिन तुमने नहीं किया। इस पर परिवादी बोला कि पहले से जिसका काम कर रहे है उसको पूरा करने के बाद ही आपका काम करूंगा। आप क्यों उसे गाली दे रहे हैं। इतना सुनते ही अभियुक्तों को ललकारते हुए बोला कि मारो साले को''। इस पर अभियुक्त सं0 2 संजय यादव लाठी से तथा अभियुक्त सं0 3 अजय यादव रड से परिवादी को जान मारने के नियत से सिर पर चला दिया, जिसे परिवादी ने अपने हाथ से रोका तो उसका हाथ व चेहरा जख्मी हो गया तथा वह गिर गया। तब तक अभियुक्त सं0 1 अपने हाथ में लिए ईटा से परिवादी के माथा पर मारा दिया, जिससे छाती पर गंभीर जख्म हो गया। सभी अभियुक्तगण लात मुक्का से परिवादी को मारने लगे। दौरान वुक के चौक स्थित दुकानदार वो दीगर गवाहान आय वकु को देखा तथा परिवादी का जान बचाया। जाते समय अभियुक्त सं0 4 मीना देवी ने परिवादी का मोबाईल कीमत 4000/–रूपया तथा अभियुक्त सं0 5 गिरधारी यादव परिवादी के पैंट की जेब से 1000 रूपया निकाल लिया। अभियुक्त सं0 1 परिवादी को धमकी दिया कि साले आज तो बच गया। जब उसे जरूरत पड़ेगा तो उसे बेगारी करना पड़ेगा, वरना जान मार देगा। परिवादी गवाहन की मदद से झाझा थाना गया तो अभियुक्तगण ने उसे थाना से बाहर आते देखा फिर भी वह दारोगा जी, चौकीदार के साथ परिवादी का ईलाज हेतु रेफरल अस्पताल भेज दिया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिकी उपचार कर सदर अस्पताल जमुई भेज दिया। जहॉ परिवादी का ईलाज हुआ।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2023 को भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 325/149, 504 सभी सपठित एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उन्होंने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए छः साक्षीयों 1. अनिल रजक, 2. मोहन यादव, 3. सुगनी देवी, 4. शीतली देवी, 5. सिंधी देवी एवं 6. प्रयाग रजक का साक्ष्य करवाया गया है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 अनिल रजक** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह घटना वर्ष 2020 की है। दोपहर का समय था। बासूदेव यादव और बालेश्वर यादव के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था और मारपीट हो रहा था। वह मचान से नीचे उतरा और गिर गया तथा उसे होश नहीं रहा। उसे इलाज के लिए नीरज साह के अस्पताल ले जाया गया। दिनेश यादव, मोहन यादव उसे दस्तख्त कराने के लिए दिनेश यादव एवं मोहन यादव लाया था। उसे पता नहीं है कि क्या क्या लिखवाया। उसके बाद गांव में पंचायत हुआ और बहुत पहले से समझौता हो गया। **प्रति परीक्षा** में साक्षी ने कथन किया है कि बासुदेव यादव बगैरह ने उसके साथ कोई जाति सूचक गाली गलौज नहीं किया था। उसके साथ किसी भी अभियुक्त ने मारपीट नहीं किया था। साक्षी ने अपनी मर्जी से आज गवाही दी है।

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 2. मोहन यादव 3. सुगनी देवी 4. शीतली देवी 5. सिंधी देवी एवं 6. प्रयाग रजक** ने अपने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पुलिस में इनका बयान नहीं हुआ था। **फलतः इन सभी 6 साक्षियों को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।**

8. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 325/149, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

9. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी सं0–1, जो इस वाद का सूचक है, ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि बासुदेव यादव बगैरह ने उसके साथ कोई जाति सूचक गाली गलौज नहीं किया था। उसके साथ किसी भी अभियुक्त ने मारपीट नहीं किया था। अभियोजन साक्षी सं0–2, 3, 4, 5, एवं 6 ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फलतः इन सभी साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। इन साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 147, 148,

325/149, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. बासुदेव यादव 2. गिरधारी यादव 3. मीना देवी 4. संजय यादव एवं 5. अजय यादव** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 325/149, एवं 504 सभी सपठित एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–06.06.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक– 06.06.2026